



राजस्थान आवासन मण्डल

ALL INDIA SERVICES RESIDENCY PHASE-II

सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले (B1+B2+G+12) के प्रस्तावित 114 में

से अधिशेष रहे 23 फ्लैट्स हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का
कार्यक्रम

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन—पत्र उपलब्ध | 26 मई 2022 |
| 2 | ऑनलाइन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | 10 जून 2022 |
| 3. | योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट |
| 4. | अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी। |
| 5. | वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | |
| 6. | वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | |

सम्पर्क सूत्र

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आवासीय अभियन्ता, खण्ड—पचांम राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 29, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर — 302033 फोन नं. 0141 — 2791648 | उप आवासन आयुक्त, वृत—प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर — 302033 फोन : 0141 — 2791320 | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 — 2741950 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

विशेष

- आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाइन भरें जायेंगे इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रुपये 354/- पंजीकृत राशि में समिलित कर चालान के माध्यम से NEFT/RTGS/CHQ/DD द्वारा ICICI बैंक के खाता संख्या **777705678239** आई.एफ.एस. सी. कोड **ICIC0006786** में किसी भी बैंक से जमा करवा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित कर लें कि :—

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही ऑनलाईन आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करवानी होगी।
आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है:-
- i. आय प्रमाण पत्र (ITR अथवा वेतन स्लिप अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र)
- ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
- iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
- iv. सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- v. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पत्ते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति।
- vi. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।



राजस्थान आवासन मण्डल

ALL INDIA SERVICES RESIDENCY PHASE-II

सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले (B1+B2+G+12) के प्रस्तावित 114 में से अधिशेष रहे 23 फ्लैट्स हेतु

योजना की प्रस्तावना:-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर में “अखिल भारतीय सेवाओं”(IAS/IPS/IFS), केन्द्रीय सिविल सेवा (गुप-ए सर्विसेज), सेन्ट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों हेतु आवासीय योजना प्रारम्भ की जा रही है। यह योजना “स्ववित्त पोषित योजना” के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही है जिसमें उच्च आय वर्ग के, बहुमंजिले (B1+B2+G+12) 23 फ्लैट हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में यथासम्भव सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सीवरेज, पार्किंग, क्लब हाऊस, लिफ्ट, फायर फायटिंग सिस्टम, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, लैण्ड स्केपिंग, LED लाईट्स, सुरक्षा गार्ड इत्यादि प्रस्तावित हैं।

इस योजना के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 10992.81 वर्ग मीटर है। इस आवासीय योजना में (B1+B2+G+12) उच्च आय वर्ग के 114 फ्लैट्स निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, उनमें से आरक्षण / आवंटन से अवशेष रहे 23 फ्लैट्स हेतु खोली जा रही है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका—1

फ्लैट्स का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :—

| क्र. सं. | आय वर्ग | अनुमानित संख्या | निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | अनुमानित लागत (रु. लाख में) |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | उच्च आय वर्ग (3 BHK + Drawing Room + Servant Room) | 23 | 3477 | 99.86 |

नोट : (i) फ्लैटों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
(ii) उक्त लागत अनुमानित है अन्तिम लागत नियमानुसार देय होगी।
(iii) पार्किंग (कवर्ड/ओपन) का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
(iv) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क पानी, बिजली के खर्च, स्ट्रीट लाइट, रेन-वाटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड, क्लब हाउस एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एकमुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर, पृथक से रेजीडेन्ट वेलफेर सोसायटी के खाते में जमा कराया जायेगा। उक्त राशि का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख-रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारंभिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा एवं कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर मनोनीत किए जायेंगे। संबंधित आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख-रखाव के खर्चों के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए एफ.डी.आर.बनवाई जाएगी। आवासीय अभियन्ता द्वारा इस मद में प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा-जोखा रखा जाएगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :—

यह आवासीय योजना सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :—

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र | 2.0 कि.मी. |
| 2. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 2.5 कि.मी. |
| 3. जगतपुरा रेल्वे स्टेशन | 3.0 कि.मी. |
| 4. जवाहर सर्किल | 5.0 कि.मी. |
| 5. एन.आर.आई. कॉलोनी | 0.25 कि.मी. |

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्यशर्ते :—

फ्लैटों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों व उपनियमों एवं अनुबंधों के निम्नानुसार किया जावेगा।

1. यह योजना निम्नलिखित सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों के लिए है।
 - (i) अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान में सेवारत अधिकारीगण।
 - (ii) राजस्थान के मूल निवासी एवं अन्य प्रदेश/केडर में सेवारत केन्द्रीय सिविल सेवा (ग्रुप-ए सर्विसेज) के अधिकारीगण।
 - (iii) राजस्थान में पदस्थ सेन्ट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अधिकारीगण।
 - (iv) राजस्थान के मूल निवासी एवं अन्य प्रदेश/केडर में पदस्थ सेन्ट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अधिकारीगण।
 - (v) राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारीगण।
 - (vi) अखिल भारतीय सेवाओं एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (ग्रुप-ए सर्विसेज) के अधिकारीगण जिन्होने पूर्व में राजस्थान प्रदेश एवं अन्य प्रदेश/केडर के अन्तर्गत अपनी सेवाये दी हैं एवं वर्तमान में अन्य प्रदेश/केडर में कार्यरत / सेवानिवृत अधिकारीगण भले ही वो राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं।

इस हेतु फोटो आईडी कार्ड तथा वेतन स्लिप लगाना आवश्यक होगा।
2. यदि पति एवं पत्नी दोनों उपरि लिखित सेवा के अधिकारी हैं, तो उनमें से कोई एक इस योजना हेतु आवेदन कर सकेगा/सकेगी। आवेदन पति/पत्नी एवं आश्रितों के संयुक्त नाम से भी किया जा सकेगा।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायीखाता संख्या PANहोना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
4. आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)
5. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाई गई फ्लेट्स हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी। जिसका विवरण अंग्राकित सारणी के अनुसार है:—

तालिका—2

| क्र. सं. | आय वर्ग | वार्षिक आय (रुपये में) | पंजीकरण राशि (फ्लेट की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत) (रुपये में) | आवेदन शुल्क (रुपये में) | प्रोसेसिंग फीस (रुपये में) | कुल जमा योग्य राशि (रुपये में) |
|----------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | उच्च आय वर्ग | रु0 18.00 लाख से अधिक | 998600.00 + 5% GST | Rs 300 + 18% GST | Rs 2000 + 18% GST | 1051244.00 |

6. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:—

(अ) स्वयं के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

(द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज़/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जायेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

8. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2000/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशिदेय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।

9. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध फ्लेट्स की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। परन्तु यदि उपलब्ध फ्लैट से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

10. इस योजना के अन्तर्गत सभी फ्लेटों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के तहत किया जायेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ

होने पर आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी

तालिका—3

| क्र.सं. | आवासों का प्रकार | किश्त | आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली राशि | |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------|
| | | | समयावधि | राशि |
| 1 | उच्च आय वर्ग बहुमंजिले फ्लैट्स (B1+B2+G+12) | प्रथम किश्त | 1 माह | 15 % |
| | | द्वितीय किश्त | 4 माह | 15 % |
| | | तृतीय किश्त | 7 माह | 15 % |
| | | चतुर्थ किश्त | 10 माह | 15 % |
| | | पंचम किश्त | 13 माह | 10 % |
| | | षष्ठम किश्त | 16 माह | 10 % |
| | | सप्तम किश्त | 19 माह | 10 % |

आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

11. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फ्लैटों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में फ्लैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।
12. इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट्स का निर्माण कार्य “डिपोजिट कार्य” की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
13. आवेदकों को **तालिका—3**के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर अथवा मण्डल में प्रभावी दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
14. **तालिका—3**के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं करने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।
15. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

16. रिफण्ड

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।
- (v) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही समिति होगी।

17. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक भवन, लिफ्ट, फायर फायटिंग, रेनवाटर हार्डिंगकी रखरखाव/ देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान,के रख—रखाव एवं सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख—रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर—टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।

18. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख—रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात फ्लेट्स का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
19. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
20. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लेट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लेटपूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें फ्लेट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लेट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लेट का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
21. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लेट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्च देय होंगे जिनका फ्लेट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:—
 - (क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - (ख) **अन्य खर्च :**
 - (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) अन्य विविध खर्च जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेंगे।
22. मंडल के फ्लेट्स केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लेट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लेट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
23. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

24. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लेट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लेट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
25. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।
26. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लेटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/फ्लेट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
27. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
28. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
30. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता **website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क onlineकुल रूपये 354/- (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/-) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
- 31.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्तवृत्तप्रथम प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में

मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें। (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

32. वित्तीय सुविधायें:आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
33. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
34. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।
35. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
36. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चर्चा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
37. उक्त योजना आवंटन से अधिशेष रहे 23 फ्लेट्स के लिए है जिनकी फ्लेट्स संख्या AIS-2/H/101,102,201,202,301,AIS-2/I/102,402,702,1301,AIS-2/J/101,102,201,202,301,302,402,1002,1202,1301,AIS-2/K/201,602,1002,1301 हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. आवेदक द्वारा अखिल भारतीय/राज्य सेवा में होने अथवा सेवानिवृत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा वेतन स्लिप लगाना अनिवार्य होगा।
- ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- iii. लॉटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमति से आवंटित फ्लैट की अदला—बदली चाहते हैं तो उसकी सहमति दी जा सकेगी।
- iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- v. फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख—रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- vii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- viii. योजना में विकसित किये जाने वाले क्लब हाउस का रख—रखाव एवं संचालन तथा आवासीय परिसर की सफाई, रख—रखाव एवं संधारण अन्य योजनाओं की भाँति रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जावेगा।
- ix. निर्माण के दौरान यदि कोई आवंटी फ्लैट में फर्श, वालपेन्ट, बाथरुम फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जैसे स्विच बोर्ड/लाईट आदि एवं किचन फिक्वर्स स्वयं लगवाना चाहता है तो इन आईटम्स के विरुद्ध संवेदक को देय राशि का समायोजन आवंटी के खाते में आवंटन पत्र जारी होने से पूर्व कर दिया जावेगा।
- x. आवेदन पत्र पुस्तिका (बुकलेट) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर अवलोकन की जा सकती है।

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.....
 वर्ष, जाति..... निवासी

एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता/करती हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है, तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पत्नी श्री
 निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा
 करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथगृहिता
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

आय प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी श्रीइस विभाग (विभाग का नाम)
.....में पद पर कार्यरत हैं जो
कि पे—मेट्रिक्स लेवल.....के अन्तर्गत, अखिल भारतीय/राज्य सेवाओं के
सेवारत्त/सेवानिवृत अधिकारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रूपयेप्रतिमाह
है।

सक्षम अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग का नाम

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

- (1) Structure: RCC frame structure
- (2) Walls: Brick masonry walls
- (3) Finishing:
 - (I) Plaster in cement sand mortar 1:4 / 1:6
 - (II) POP
 - (III) Plastic paint on inner surfaces and texture paint on exterior surfaces
 - (iv) UPVC windows
 - (v) Wooden door frames
 - (vi) Flushdoor shutters with both side laminate
 - (vii) Wall tiles of size 300x450 / 600x600 mm in toilets
 - (viii) GVT (digital)/double charge vitrified tile flooring of size 800 x800 mm in bedrooms, drawing room, dining, family/living & entrance loung/office
 - (ix) MAT finished tiles in balconies, toilet and kitchen.
 - (x) Granite stone/ Marble flooring in common area and stairs
 - (xi) Granite top kitchen table counter
- 4. Stainless steel railing at balcony and stainless steel/ M.S. railing in staircase
- 5. Sanitary
 - (i) Cascade W.C.
 - (ii) Counter TOP wash basin
 - (iii) Jaquar continental series C.P. fittings

FACILITIES

1. Club House is Common for AIS Residency Pahase-I & Phase-II with following features without furnishing :-
 - i. Badminton Court
 - ii. Swimming Pool
 - iii. Spa
 - iv. Restaurant
 - v. Banquet Hall
 - vi. Gymnasium
 - vii. Conference Room, Office
 - viii. Guest Rooms
2. Tennis Court in Central Lawn Area
3. Central Lawn
4. Childrens Play Area
5. Open Gym
6. Internal Walk-ways
7. Security System in Common Areas
8. Plantation
9. 24 hours water supply
10. Street Lights

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैकटर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

ALL INDIA SERVICES RESIDENCY PHASE-II

सैकटर-17, प्रताप नगर, जयपुर

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले (B1+B2+G+12) के प्रस्तावित 114 में से अधिशेष
रहे 23 फ्लैट्स हेतु

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | सैकटर / कॉलोनी का नाम | : | सैकटर-17, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर |
| 2. | योजना का नाम | : | ALL INDIA SERVICES RESIDENCY (B1+B2+G+12) के फ्लैट्स |
| 3. | आवेदक/आवेदिका का नाम | : | |
| 4. | आय वर्ग | : | उच्च आय वर्ग |
| 5. | पत्र व्यवहार का पता | : | |
| 6. | बैंक डी.डी. नम्बर, बैंकर चैक व पे—ऑर्डर नम्बर दिनांक | : | |
| 7. | पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दों में) | : | रु0 रुपये |

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

आवेदक द्वारा भरा जावें

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

ALL INDIA SERVICES RESIDENCY PHASE-II

सेक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर

**स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले (B1+B2+G+12) के प्रस्तावित 114 में
से अधिशेष रहे 23 फ्लैट्स हेतु**

| क्र. सं. | आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु | आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है? | हॉ / नहीं |
| 2. | क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है? | हॉ / नहीं |
| 3. | क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) | हॉ / नहीं |
| 4. | क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ? | हॉ / नहीं |
| 5. | क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है? | हॉ / नहीं |
| 6. | क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है? | हॉ / नहीं |
| 7. | क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है? | हॉ / नहीं |
| 8. | क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है? | हॉ / नहीं |
| 9. | क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है? | हॉ / नहीं |
| 10. | क्या पंजीकरण राशि जमा है? | हॉ / नहीं |
| 11. | क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है? | हॉ / नहीं |
| 12. | क्या वाछिंत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है? | हॉ / नहीं |

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक / सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी / सम्पदा प्रबन्धक